न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 63/2015 (225 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00307

उनवान

1. गंगादेई पत्नि मोहनसिंह
2. देवेन्द्र } पिस. मोहनसिंह
3. सानूसिंह }
4. नीरज }
5. दीया } पुत्रीयान मोहनसिंह
6. सीमा }
7. रूपसिंह }
8. सुरेशचंद } पिस. गोविन्दसिंह
9. रमेशचंद }
10. वीरेन्द्रसिंह }
11. अनूपसिंह पुत्र रनवीर सिंह

जाति जाट निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर। हाल जिला डीग।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरवती बेवा पूरन
2. जंगल सिंह }
3. कलेक्टर } पिस. पूरन
4. मदनमोहन }
5. चतुरसुजान }
6. बच्चू (मृतक)
   6/1 कम्पूरी बेवा बच्चू
   6/2 अर्जुन पुत्र बच्चू
   6/3 श्यामसुन्दर पुत्र बच्चू
   6/4 कुन्ती पुत्री बच्चू
   6/5 कुन्ती पुत्री बच्चू
   6/6 काजल पुत्री बच्चू

जाति बावरिया, निवासी चक घरवारी तहसील डीग

.....अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 91/15 बउनवानी गंगादेई वगै. बनाम सरवती में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2015 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 श्री नीरपाल सिंह उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 22.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर द्वारा मु.स. 91/15 बउनवानी गंगादेई वगै. बनाम सरवती में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2015, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध पेश की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 355, 376, 377, 379, 385, 386, 447, 778, 385/1452 वाके ग्राम बैलारा कलां तहसील कुम्हेर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक घरू खेवट की आराजी है। उक्त आराजी पर श्री गोविन्द सिंह को धारा 15 आर.टी.ए. व धारा 30 राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। गोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। गोविन्द सिंह ने अप्रार्थीगण को अपने खेती के काम के वटसोड़ा वर्ष भर के लिए रखा हुआ था इसलिए राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उसे उक्त आराजी पर कहीं पर 1 साल व कहीं पर 2–3 साल का साझी अंकित कर दिया जिसको आगे चलकर खातेदार अप्रार्थीगण के नाम गलत रुप से इन्द्राज कर दिया। इसी कारण प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.08.2015 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरपाल सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थीगण के हक में स्थगन जारी कर दिया उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित गैर सायल बच्चू का देहान्त हो गया था जिसके वारिसान की कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कर दी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की कार्यवाही न कर प्रार्थना पत्र का बिना बहस सुने गलत रूप से निर्णय कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध है निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को बिना सुने ही मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है जो कतई गलत है। अपीलार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज है यह आराजी उन्हें अपने पिता स्व. गोविन्दसिंह से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई एवं श्री गोविन्दसिंह इस आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे थे। उन्हें राजस्व अभिलेख में सम्बत 2010 से पहले गैर खातेदार व वाद में शिकमी कृषक अंकित किया जाता रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने इन इन्द्राजात

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को देखे बिना खण्डनीय आदेश देने में भारी त्रुटि की है। राजस्व अभिलेख में जो खातेदारी की प्रविष्टियां उत्तरवादीगण के नाम व उनके पूर्वज बिहारी के नाम हो रही है वह कतई गलत है उक्त बिहारी को उक्त गैर मौरूसी के इन्द्राजात के आधार पर खातेदार अधिकार भी मिले हैं इसके अलावा उसका कभी आराजी पर कब्जा भी नहीं रहा है उसे केवल साझी किया था जो काश्तकार की परिभाषा में नहीं आता है अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओ पर गौर नहीं कर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। पूर्व में उत्तरवादीगण के बेदखली के दावे भी निष्प्रभावी किया जा चुका है क्योंकि उसकी कोई इजराय नहीं है और उसमें अपीलार्थी के कब्जे को Settied Possession माना है इस प्रकार भी उत्तरवादीगण का कब्जा नहीं होने पर भी खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि यह आराजी अपीलार्थीगण की पूर्वजों की खेवट की है तथा कब्जे काश्त की आराजी रही है जिसमे 'उत्तरवादीगण के पिता बिहारी को कोई अधिकार नही दिया गया है। जो कृषक की संज्ञा में नहीं आता है इस प्रकार खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 04.08.2015 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल दावा टी.आई. आदेश जारी किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी अपील बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का व उनके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि गैरसायलान तथा उनके पूर्वजों का कब्जा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही है। विवादित आराजी मुत. हाल खसरा नमबर 355, 376, 377, 379, 385, 386, 447, 778, 385,/1452 वाके ग्राम बैलारा कला जिसके साबिक खसरा नम्बर 585, 586, 587, 588, 719, 576, 584, 464, 495, 496, 572 से बनाए है। उक्त आराजी संख्या 2012 से पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर व शेष अप्रार्थी के बाबा बिहारी की गैर मौरूसी की आराजी रही है और 2012 में 'टीनेन्सी एवं प्रभाव में आने के समय से ही बिहारी वहैसियत गैरमोरूसी काश्तकार काबिज चला आ रहा है। जिसके फलस्वरूप कानूनी प्रावधानों के अनुसार बिहारी को हकूक खातेदारी प्राप्त हुए है। बिहारी के मरने के बाद विवादित आराजी विरासतन पूरन को प्राप्त हुई तथा पूरन के मरने के बाद उक्त वर्णित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों का कभी भी कोई सम्बन्ध व सरोकार उक्त आराजी से कभी नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 बच्चू सिंह का स्वर्गवास दिनांक 11.06.2011 को हो चुका है। जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है तथा मुताबिक कानून मृतक के खिलाफ दावा नहीं चल सकता था। इसलिए उक्त दावा अवेटमेन्ट हो चुका है तो प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण मेन्टेनेबल नहीं होने से काबिल खारिजी के था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से निर्णय पारित किया गया है।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 01.05.2015 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पेश दावे के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसमें मुख्य रुप से कथन किया कि "विवादित आराजी खसरा नम्बर 355, 376, 377, 379, 385, 386, 447, 778, 385,/1452 वाके ग्राम बैलारा कलां तहसील कुम्हेर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक घरू खेवट की आराजी है। उक्त आराजी पर श्री गोविन्द सिंह को धारा 15 आर.टी.एक्ट. व धारा 30 राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। गोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। गोविन्द सिंह ने अप्रार्थीगण को अपने खेती के काम के वटसोड़ा वर्ष भर के लिए रखा हुआ था इसलिए राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उसे उक्त आराजी पर कहीं पर 1 साल व कहीं पर 2–3 साल का साझी अंकित कर दिया जिसको आगे चलकर खातेदार अप्रार्थीगण के नाम गलत रुप से इन्द्राज कर दिया। इसलिए प्रार्थी अपने प्रार्थना–पत्र में यह अनुतोष मांगा कि मूल वाद के निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/समन तलब किया गया। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.08.2015 को अपने निर्णय में यह अंकित किया कि **"प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज योग्य पाये जाने पर खारिज किया जाता है।"**

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 यह मानते हुए कि चूंकि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं और एक खातेदार काश्तकार होने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र काबिज खारिजी के प्रतीत होता है, खारिज कर दिया। पत्रावली पर ग्राम बैलाराकलां की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 की फोटोप्रति अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बरान के अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अभिलिखित खातेदार का कब्जा होने की प्रकल्पना धारा 140 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मानी गयी है। इसी प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा किए जाने पर प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी क्योंकि वे रिकॉर्डेड खातेदार हैं, साथ ही लम्बे समय से दर्ज रिकार्डेड खातेदार होने से अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही सम्भावित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 04.08.2015 विधिसम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 04.08.2015 को यथावत रखा जाता है।
10. निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर